न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 84 / 2020

किशन देवी, करकुंज रोड़,कनाड़ा बैंक के पास,आवास विकास कॉलोनी आगरा ।

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 09.12.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि किशन देवी, करकुंज रोड़,कनाड़ा बैंक के पास, आवास विकास कॉलोनी आगरा ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 10.08.2020 अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 694 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ अतिरिक्त जिला कलक्टर (सामान्य), कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:06:05 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर